

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1298/11-सी- FP/UP/Others/26336/2017, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 12, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex Post Facto) के अर्न्तगत जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग एन०एच०-30 (पुराना एन०एच०-24) कि०मी० 267-268 के मध्य चैनेज 267.640 ग्राम गौसगंज सराय तहसील फरीदपुर पर नियो स्टार रियेल्टी प्रा०लि० एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा०लि० द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कालोनी ओम रेजीडेन्सी के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों की पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०- (FP/UP/Others/26336/2017)

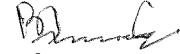
सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र-8बी/यू०पी०/06/250/2021/FC/UP/Others 26336/2017 दिनांक 15.03.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक-3997/14-1 दिनांक 27.06.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,



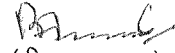
(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1298/11-सी- FP/UP/Others/26336/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली।
- 3- डायरेक्टर नियो स्टार रियेल्टी प्रा० लि० सी-31 कृष्ण जानकी पैलेस रामपुर गार्डन, बरेली।

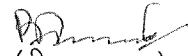


(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1298/11-सी - FP/UP/Others/26336/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कायालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 3997 / 14-1, बरेली, दिनांक, 24/जून/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उपरो लखनऊ।

विषय:-

जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एनएच-30 (पुराना एनएच-24), किमी 267-268 के मध्य क्षेत्र 267.540, ग्राम गौरागंज सराय, तहसील फरीदपुर पर निचो रस्ता शिफ्टी प्रां. शि. एवं सेडिलमण्ड प्रोजेक्ट्स प्रां. शि. द्वारा विकसित किया जा रहा आवासीय कॉलोनी ओप सैडिलमण्ड के संपर्क मार्ग में प्रभावित 0.4368 है। संरक्षित वन भूमि के गैर वाणिज्यी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के कार्योपरन्त (Ex-Post Facto) अनुमति सम्पत्ती प्रस्ताव।
(Online Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017)

संदर्भ:-
महोदय,

आयुक्त पत्रांक - 11सी- 3050 FP/UP/Others/26336/2017 दिनांक- 19.03.2024

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार का पत्रांक 8B/UP/06/250/2021 /FCFP/UP/ Others/26336/2017 दिनांक 15 मार्च 2024 के द्वारा विषयक मामले में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अनुपालन आख्या प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 4712/14-1 दिनांक 25-06-2024 (संलग्नक-01) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त अनुपालन आख्या निम्न प्रकार विन्दुवार संलग्नक सहित संलग्नक कर संस्तुति सहित ऑनलाइन/ऑफलाइन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
2	Five times penal NPV along with 12% simple interest from the date of raising of such demand shall be paid by the user agency.	दंडात्मक एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011 द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
3	As per DSS analysis there are two Dhabas in the area proposed for Compensatory Afforestation. The state shall examine the matter in detail and ensure that the Compensatory Afforestation is carried over an area free from all encumbrances and submit the correct KML file of the area proposed for CA.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, प्रतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल सभी अतिक्रमण और प्रवर्तन से मुक्त है।
4	As per DSS analysis, a small forest segment comprising an area of 0.04 ha has not been included in the present diversion proposal. The state shall examine the matter and in case additional area is required then the details of actual requirement shall be submitted along with its recommendations.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, संपर्क मार्ग हेतु प्रभावित 0.4368 है। संरक्षित वन भूमि एनएचआई द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार है उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost and the work of compensatory afforestation shall be started within two years of issue of order of diversion of the corresponding forest land;	प्रतिपूरक वनरोपण हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।
6	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The CA scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

एनपीवी हेतु वांछित धनराशि का भुगतान यूटीआर संख्या- BARBR52024041600989 011, द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा दिनांक 16.04.2024 के माध्यम से किया जा चुका है।

8	(NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the guidelines given in Chapter - 3 of the Consolidated Guidelines and Clarification issued by the Ministry in accordance with the Hon'ble Supreme Court of India's order dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 in the matter of T. N. Godavarnman Thirumalpad vs. Union of India.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
9	The User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
10	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA)	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
11	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth cuttings will be disposed of at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
12	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
13	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
14	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
15	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
16	The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
17	The User Agency, if required, shall obtain the environment clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued under the Environmental (Protection) Act; 1986;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
18	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
19	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
21	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
22	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
23	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
24	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
26	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

	entation. The said R & R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC;	
26.	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
27.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
28.	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project;	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।
29.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2019.	शर्त का अनुपालन किया जायेगा, वचनबद्धता संलग्न है।

प्रारूप-2

शर्त.संख्या	भारत सरकार की इंगित शर्त	अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर की स्थिति
01	02	03
05 व 06	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	13,94,394.00
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा धनराशि	13,94,394.00
07	एनपीबी की धनराशि	4,18,358.00
02	पैनल एनपीबी की धनराशि	10,55,474.00
	कुल एनपीबी की जमा धनराशि (शर्त सं0- 7 + 2)	14,73,832.00
	कुल योग	28,68,226.00

उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नको सहित एवं वन (संरक्षण) 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक 397/14-1, दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक- 4712/14-1 दिनांक 25.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी-वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

